जनपद हमीरपुर

थाना- कोतवाली नगर **दिनांक 22.06.2026**

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का खुलासा, थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 124/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त के चोरी के माल के साथ गिरफ्तारी के सम्बन्ध में ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.06.2026 को वादी अखिल कुमार गुप्ता पुत्र रामप्रकाश गुप्ता निवासी सैय्यदवाड़ा, जनपद हमीरपुर द्वारा अपनी दुकान (जिला परिषद, हमीरपुर) बंद करते समय रात्रि लगभग 10:00 बजे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मैगी लेने के बहाने दुकान के बाहर रखा थैला, जिसमें नगदी से भरा बैग एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, चोरी कर लिया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 19.06.2026 को थाना कोतवाली नगर, हमीरपुर पर मु0अ0सं0 124/2026 धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही-

घटना के अनावरण हेतु थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा घटनास्थल एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का गहनता से परीक्षण किया गया तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की गई।

इसी क्रम में आज दिनांक 22.06.2026 को पुलिस टीम द्वारा सिटी फॉरेस्ट के पास से अभियुक्त आदित्य खरे पुत्र महेन्द्र कुमार खरे निवासी मुहल्ला रमेड़ी, थाना कोतवाली नगर, जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही एवं कब्जे से चोरी किया गया लेदर का बैग, ₹1,07,565/- नगद तथा वादी के महत्वपूर्ण दस्तावेज (पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक चेकबुक, डेबिट कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस) बरामद करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

आदित्य खरे पुत्र महेन्द्र कुमार खरे (उम्र करीब 27 बर्ष) नि0 मुहल्ला रमेडी थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर ।

बरामदगी का विवरण-

लैदर का बैग जिसमे 1,07,565/- रूपये व अन्य दस्तावेज

गिरफ्तारी का स्थान-

सिटी फारेस्ट थाना कोतवाली नगर हमीरपुर।

पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुरेन्द्र पटेल
2. उ0नि0 प्रदीप कुमार पाण्डेय
3. का0 इखलाक हुसैन
4. का0 आशुदत्त